रजिस्ट्रेशन संख्या :– R.N.I. 36355/79
डाक पंजीकरण संख्या :– Kanpur City – 67/2015–2017

चिकित्सा–विज्ञान और प्रौद्योगिक जगत में
सर्वाधिक प्रकाशित होने वाला निष्पक्ष समाचार पत्र

पाक्षिक

इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट

पत्र व्यवहार हेतु पता :–
सम्पादक
इलेक्ट्रो होम्यो मेडिकल गज़ट
127/204 'एस' जूही, कानपुर–208014

वर्ष –38 ● अंक –10 ● कानपुर 16 से 31 मई 2016 ● प्रधान सम्पादक – डा0 एम0 एच0 इदरीसी ● वार्षिक मूल्य – ₹100

प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए गठित की समिति

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए प्रदेश सरकार ने 4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी कर दिया है इस शासनादेश के आने से प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, हर चिकित्सक को अधिकारपूर्वक कार्य करने का अधिकार है परन्तु फिर भी हमारे चिकित्सक इस अधिकार का भरपूर लाभ नहीं उठा पा रहे हैं जबकि अधिकारिता पाने के बाद उन्हें प्राप्त अधिकारों का भरपूर लाभ उठाना चाहिये।

4 जनवरी, 2012 को शासनादेश जारी होने के बाद प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन तो ठीक से हो रहा है लेकिन संचालन करने वाली संस्थायें विभाजित हो चुकी हैं एक वह संस्था है जिस अधिकार प्राप्त है जिसके लिए प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है दूसरी वह संस्थायें हैं जो अधिकार पाने के लिए अभी भी प्रयासशील हैं अर्थात एक अधिकार प्राप्त संस्था है जिसका नाम बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 बाकी की अन्य संस्थायें आज भी अधिकार पाने के लिए संघर्षरत हैं यहाँ पर आपको यह बताना उचित होगा कि वर्ष 2004 से पूर्व प्रदेश में लगभग 40 इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें संचालित हो रही थीं जो अपने अपने हिसाब से शिक्षण और प्रशिक्षण कार्य सम्पादित कर रही थीं लेकिन वाद संख्या 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव उ0प्र0 एवं अन्य में पारित निर्णय आदेश के अनुसार समस्त प्रमाण पत्र प्रदाता संस्थाओं को अपने पंजीयन का आवेदन शासन में करना था परन्तु प्रदेश की एक मात्र संस्था को छोड़कर किसी भी संस्था ने पंजीयन के लिए आवेदन नहीं किया बल्कि माननीय उच्च न्यायालय में इस बात का वाद दाखिल किया कि उनकी संस्था इलेक्ट्रो होम्योपैथी के क्षेत्र में काम कर रही है इसलिए उन्हें काम करने व पंजीयन का आदेश जारी किया जाये।

न्यायालय ने इस वाद को सुनने के बाद वाद को खारिज कर दिया, इस खारिज वाद की अपील 624/2004 के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय में की गयी जिसकी सुनवाई करते हुए विद्वान न्यायमूर्ति श्री मारकण्डे काटजू की पीठ ने जो टिप्पणी की वह सर्वविदित है।

इस हाईकोर्ट के आदेश की अपील माननीय सुप्रीम कोर्ट में की गयी परन्तु सुप्रीम कोर्ट ने भी यह याचिका खारिज कर दी। इस प्रकार से प्रदेश में बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को छोड़कर अन्य किसी संस्था के पास प्रदेश में कार्य करने का अधिकार नहीं रह गया। एक बात यहाँ पर बतानी आवश्यक है कि कुछ लोग दिसम्बर 2011 के एक आदेश का अक्सर हवाला देते हैं और कहते हैं कि इस संस्था को भी कार्य करने का अधिकार है, जो लोग ऐसी बातें करते हैं उन्हें यह बात समझनी चाहिये कि प्रदेश में कार्य करने का अधिकारी वही है, जो वाद संख्या 820/2002 में पारित आदेश का अनुपालन करती हो और हम अभिमान के साथ कहते हैं कि यह अवसर अभी तक केवल बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 को ही प्राप्त है।

कल क्या होगा ? इसकी हम सिर्फ सुःखद कल्पना करते हैं और यह प्रयास करते हैं कि सभी को समान रूप से कार्य करने का अवसर प्राप्त हो लेकिन अवसर उन्हें ही प्राप्त होता है जो नियमों का पालन करते हुए आवश्यक कार्यवाही करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी का क्षेत्र बहुत विस्तृत है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के पूर्ण विकास के लिए अभी बहुत कार्य करने की आवश्यकता है, इसलिए जिसे जिस क्षेत्र में रूचि हो वह उस क्षेत्र में अधिकार पूर्वक कार्य करते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास करे।

जहाँ तक प्रदेश सरकार की बात है प्रदेश सरकार लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सकारात्मक रूख अपना रही है हर चिकित्सक को स्वतन्त्रतापूर्वक कार्य करने का पूरा अवसर प्रदान कर रही है यह तो हमारे चिकित्सक गण हैं जो अधिकार तो चाहते हैं लेकिन अपने कर्तव्यों के प्रति अभी भी सजग नहीं हैं। रही बात अन्य आदेशों की, या इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता की, प्रदेश सरकार इलेक्ट्रो होम्योपैथी को कानूनी आवरण पहनाने की पहल भी कर चूकी है 4 जनवरी, 2012 के शासनादेश का कड़ाई से पालन हो इसलिए चिकित्सा विभाग के प्रमुख, चिकित्सा महानिदेशक ने 2 सितम्बर, 2013 को समस्त मण्डलीय अपर निदेशकों व 14 मार्च, 2016 को सभी मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र लिखकर आदेशित किया है कि सभी अधिकारी 4 जनवरी, 2012 को दिये गये आदेश के निर्देशो का शासकीय आदेशानुसार पालन करें, इस आदेश का असर प्रदेश में दिखने भी लगा है, सरकारी अधिकारियों के रूख में अमूल परिवर्तन आया है कोई भी अधिकारी अब किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथ को परेशान नहीं कर रहा है, सरकारी स्तर पर तो हम लगातार सफ़ल होते जा रहे हैं लेकिन हमारे चिकित्सक अभी भी पता नहीं किस नींद में सो रहे हैं ?पिछले दो वर्षों से हम लगातार गज़ट के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से लागातार आपको बता रहे हैं कि अधिकारपूर्वक चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए हर चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में अवश्य करना है। हमारे लाख कहने के बावजूद भी जो तेज़ी चिकित्सकों में होनी चाहिये वह नहीं दिख रही है यह हमारे लिए तो नहीं लेकिन उन चिकित्सकों के लिए ज़रूर ख़तरे की घंटी हो सकती है जो प्रैक्टिस पर ही आधारित हैं। आज नहीं तो कल यदि कभी भी किसी विभागीय अधिकारी ने अभियान चलाया और उसने आप से मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में पंजीयन के आवेदन के सम्बन्ध में जानकारी चाही तो उस समय यदि आपने पंजीयन का आवेदन नहीं किया होगा तो बहुत सम्भव है कि वह अधिकारी आपके विरूद्धकोई भी कार्यवाही कर सकता है।

यदि आपने पंजीयन का आवेदन दे रखा है और प्राप्ति की रसीद आपके पास है तो आप उस अधिकारी से यह कह सकते हैं कि हमने आवेदन प्रेषित कर दिया है हम बार–बार आपको बताते हैं कि न्यायालय का आदेश जो कि अब सरकारी आदेश है के अनुसार चिकित्सा कार्य करने का आवेदन देना आवश्यक है मुख्य चिकित्सा अधिकारी पंजीयन नम्बर देता है या नहीं यह मुख्य चिकित्सा अधिकारी के विवेक पर निर्भर करता है इसलिए सभी चिकित्सकों को चाहिये कि वे बे–झिझक होकर अपने पूरे प्रपत्रों के साथ अपने जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहाँ पंजीकरण का आवेदन अवश्य करें जो लोग इस भ्रम में जी रहे हैं कि बिना पंजीयन के काम चल जायेगा वह बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके दिमाग में यह बात भर दी गयी है कि पंजीयन का आवेदन केवल उन्हीं को करना है जो मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक हैं जबकि सत्य यह है और यही आदेश भी, कि प्रदेश में चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए हर चिकित्सक को अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी के यहाँ कराना होगा सबसे अच्छी बात यह है कि कल तक जो हमारे इस अभियान का विरोध कर रहे थे लगातार सरकार की कार्यप्रणाली को देखते हुए अब वह भी स्वीकारने लगे हैं कि अधिकारपूर्वक चिकित्सा व्यवसाय करने के लिए हर चिकित्सक को पंजीयन का आवेदन करना ही होगा, इस तरह से धीरे–धीरे प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति मज़बूत होती जा रही है लेकिन जो लोग अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे हैं वह अभी भी अपनी मना स्थिति को स्थिर नहीं रख पा रहे हैं अधिकार पाने के लिए तरह–तरह के प्रयास जारी हैं कोई मान्यता की मांग करता है, कोई सरकार से इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों की सूची बद्धता की मांग करता है, इसके लिए वह सरकार से लगातार पत्र व्यवहार करते रहते हैं और धरनों प्रर्दशनों के माध्यम से सरकार पर दबाव बनाने का निरन्तर प्रयास जारी है सरकार इन सब बातों पर गम्भीरता से ध्यान देती है और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रति सकारात्मक रूख भी अपनाये हुए है आश्चर्य तो तब होता है जब हमारे ही कुछ साथी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का शासनादेश स्वीकार नहीं कर पाते हैं बहुत सारी संस्थायें ऐसी हैं जिन्होंने पूराने आदेशों को निरस्त करके नये नियम बनाये जाने की मांग तक कर डाली है चूंकि सरकार ने 4 जनवरी, 2012 का शासनादेश बहुत सघन जांच पड़ताल के बाद जारी किया है इसलिए सरकार ने बहुत गम्भीरता से विचार करने के बाद इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए एक समिति का गठन कर दिया है समिति के आदेश का मूल अंश निम्नवत है —

इलेक्ट्रो होम्योपैथी में शिक्षा, चिकित्सा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास व प्रैक्टिस करने हेतु मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन आदेशों, भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेशों, प्रश्नगत विधा से चिकित्सा/शिक्षा/अनुसंधान/आदि कार्यों हेतु अन्य राज्यो में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से प्रशिक्षित व्यक्तियों द्वारा में इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा में चिकित्सा,शिक्षा, रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास कार्य चिकित्सा,शिक्षा,रजिस्ट्रेशन,अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रैक्टिस करने सम्बन्धी पूर्व में निर्गत आदेशों को निरस्त करते हुए नये नियम/विनियमन बनाये जाने हेतु शासनादेश आदि निर्गत किये जाने की निरन्तर मांग की जा रही है।

2 – उक्त के दृष्टिगत शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त उक्त विधा में नियम/विनियम बनाये जाने हेतु एतद्द्वारा समिति गठित की जाती है

इस तरह से यह कमेटी अपना काम करना शुरू कर चुकी है इसकी दो बैठके भी हो चुकी है जब इस विषय पर चर्चा शुरू हो गयी है तो परिणाम भी आयेंगे इस कमेटी को सरकार द्वारा जो निर्देश प्राप्त है और जिनके अनुसार उसे कार्य करना है निश्चित रूप से इलेक्ट्रो होम्योपैथी को और मजबूती प्रदान करेंगे लेकिन यह कमेटी उन लोगो को मुश्किल में डाल देगी जो सर्वोच्च कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेशों से बंधे हुए है इसलिए हर संस्था को अब कार्य 820/2002 के आदेश में पारित निर्देशों के अनुसार ही करना होगा। कमेटी के कार्य क्या है हम आपको उसका भी ज्ञान करवा रहे है :–

उक्त समिति द्वारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा के संबंध में मा0 सर्वोच्च न्यायालय व मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये अद्यतन आदेशों,भारत सरकार द्वारा निर्गत आदेशों,प्रश्नगत विधा से चिकित्सा/शिक्षा/अनंसधान/आदि कार्यो हेतु अन्य राज्यो में विद्यमान नियमों आदि का अध्ययन/परीक्षण करते हुए प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से प्रशिक्षित व्यक्तियों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी विधा से चिकित्सा,शिक्षा,रजिस्ट्रेशन, अनुसंधान एवं विकास कार्य चिकित्सा,शिक्षा,रजिस्ट्रेशन,अनुसंधान एवं विकास कार्य प्रैक्टिस करने हेतु नये नियम/विनियम बनाये जाने हेतु शासन को सुसंगत प्रस्ताव/संस्तुति उपलब्ध करायी जायेगी।

इसतरह से एक बात तो स्पष्ट हो गयी है कि जब तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून नहीं बनता या मान्यता नहीं दी जाती है तब तक बोर्ड आफ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन उ0प्र0 के लिए जारी 4 जनवरी,2012 को जारी शासनादेश ही प्रभावी रहेगा। और इस संस्था कार्य करने का पूर्ण रूप से वैधानिक अधिकार मान्यता मिलने तक लागू रहेगा। ऐसा नहीं है कि अन्य किसी को काम करने का अधिकार नहीं है सब लोग अपनी अपनी क्षमतानुसार कार्य कर सकते है बशर्ते प्रदेश में कार्य करने के लिए जो नियम और शर्ते है उनका अनुपालन किया जाये अवसर हर एक को मिलता है इसलिए उचित अवसर पर कार्य सम्पादित कर लेना चाहिये आज चिकित्सकों के लिए

शेष अंतिम पेज पर

इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सियासी पारा चढ़ा

यूँ तो आजकल पूरे देश में गर्मी पूरे ज़ोरों पर है गर्मी की तपिश से इस धरती से लेकर आसमान तक पशु–पक्षी जीव–जन्तु से लेकर मानव जाति सब गर्मी से परेशान हैं कहीं गर्मी परेशान कर रही है, तो कहीं पर गर्मी से बेहाल लोगों को गला तर करने के लिए पानी न मिल पाने की परेशानी बेहाल कर रही है, हर तरफ़ पारा चढ़ा हुआ है देश के कई राज्यों में चुनाव हो रहे हैं जहां पर चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं उन राज्यों में भी राजनीतिक पारा चढ़ा हुआ है यानि हर तरफ़ चढ़ते हुए पारे का जलवा ही जलवा है, इसे हम जलवा कहें या प्रकृति का प्रकोप जो कुछ भी हो! सहन तो मनुष्य को ही करना पड़ता है, जब इतने सारे पारे चढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी का पारा कैसे स्थिर रहता, इलेक्ट्रो होम्योपैथी की राजनीति करने वाले हर समय वक्त की तलाश में रहते हैं कि मौका मिले और राजनैतिक रोटियां सेकी जायें यह अलग बात है कि अभी तक किसी भी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक राजनीतिज्ञ की सही रोटी नहीं सिक पायी है ! खैर परिणाम कुछ भी हो प्रयास तो करने ही चाहिये प्रयासों से ही कुछ प्राप्त होता है, प्राप्ति का आंकलन और उसके परिणामों का निर्णय किये जा रहे प्रयासों पर निर्भर करता है। कर्मयोग का सिद्धान्त हमें यही सिखाता है कि परिणामों की चिन्ता किये बगैर कार्य करते रहना चाहिये लेकिन हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये कि अच्छे परिणामों के लिए वही प्रयास होने चाहिये जो जनहित में हों और जिनका लाभ आम व्यक्ति उठा सके। इलेक्ट्रो होम्योपैथी का राजनैतिक पारा गर्मी के साथ बढ़ता जा रहा है इलेक्ट्रो होम्योपैथी से जुड़ा हर नेतृत्वकर्ता अपना बर्चस्व व अपनी उपादेयता साबित करना चाहता है और यही कारण है जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को सही राह नहीं मिल पा रही है पिछले दिनों इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए सदन में कांग्रेस सांसद रंजीता रंजन ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता का बिल प्रस्तुत किया, जैसे ही यह बिल प्रस्तुत हुआ सोशल मीडिया के माध्यम से सारे देश को यह बताने का प्रयास किया गया कि जैसे कोई बहुत बड़ी सफ़लता मिल गयी हो, इस समाचार को ब्रेकिंग न्यूज की तरह प्रस्तुत किया गया, ऐसा लगा कि हर व्यक्ति इस बिल को प्रस्तुत करवाने का श्रेय स्वयं लेना चाहता है हम भी प्रयास की सराहना करते हैं ऐसे प्रयास होने चाहिये लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिये कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए जो आदेश जारी किये हैं उनकी अनदेखी न हो साथ ही साथ इन आदेशों की उपयोगिता और उनके अन्तर निहित भावों को भी समझना होगा। सदन में बिल आया अच्छी बात है इस बिल पर चर्चा हो जाये और भी अच्छी बात है दूसरी तरफ़ प्रदेश में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी का सियासी पारा बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक वर्ष के अन्दर मान्यता दिलाने की बात कही थी अवधि पूरी हो गयी परन्तु सफ़लता नहीं मिल पायी, सफ़लता क्यों नहीं मिली ?यह तो उनके आकलन का विषय है जिन्होंने इस तरह का वादा किया था, खैर इतना बड़ा काम इतनी आसानी से नहीं होता है, सबसे पहले तो खेमों में बटी हुई इलेक्ट्रो होम्योपैथी को एक खेमे में लाने की ज़रूरत है वैचारिक अन्तर होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है लेकिन जब उद्देश्य ही बदल जाते हैं तो प्रयासों की परिभाषायें बदल जाती हैं। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी अधिकार प्राप्त चिकित्सा पद्धति के तरह अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों से लगातार प्रतिस्पर्धा कर रही है वातावरण भी ठीक है कार्य करने के अवसर भी हैं फिर नई मांगों की क्या जरूरत है ?मांगे तो लगातार चलती ही रहेंगी लेकिन मांग को मनवाने के लिए जिस पूर्ति की आवश्यकता है उसे हम कभी भी झुठला नहीं सकते हैं, हर बात की पूर्ति के लिए आन्दोलन ही एक मात्र रास्ता नहीं होता है बल्कि कभी–कभी आन्दोलन करते हुए जो कार्य नहीं होते हैं वह काम कार्य करते हुए पूरे हो जाते हैं इसलिए पूरे प्रदेश में कार्य संस्कृति पनपाने की दिशा में यदि पूरी ऊर्जा के साथ कार्य किया जाये तो तपिश भी कम होगी और राहत भी मिलेगी।

एक अंजाना डर परेशान कर रहा है

हर व्यक्ति जीवन में कुछ न कुछ पाना चाहता है जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में लगा है उसकी यह इच्छा होती है कि जब तक वह जीवित रहे और जिस क्षेत्र में वह कार्य कर रहा है उस क्षेत्र की बढ़ोत्तरी हो और समाज भी उसके कार्य को स्वीकारे, यह विचार सामान्य जन के तो होते ही हैं साथ–साथ जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं वह भी यही चाहते हैं कि उसने जिस क्षेत्र को कार्य क्षेत्र के रूप में चुना है उसका निरन्तर विकास हो और प्रगति के रास्ते पर बढ़ता चला जाये लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति जो सोचता है उसके अनुरूप नहीं हो पाता है जब व्यक्ति की सोच के विरूद्धजिसमें उसका हित जुड़ा हो कार्य हो जाता है तो एक अज्ञात भय मन में जन्म ले लेता है और वह भय तब तक उसे सताता है जब तक कि उस घटना का पटाक्षेप नहीं हो जाता है।

आज उत्तर प्रदेश में कुछ इसी तरह का अज्ञात भय इलेक्ट्रो होम्योपैथों को विचलित कर रहा है और दूसरे शब्दों में कहा जाये तो यह विचलन कतई गलत नहीं है वह इसलिए है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथों ने जितना दर्द झेला है शायद अन्य किसी चिकित्सा पद्धति में उतना दर्द नहीं झेला है उतार से चढ़ाव की तरफ़ बढ़ना हर एक को अच्छा लगता है लेकिन अच्छे दिन देखने के बाद जब गुमनामी झेलनी पड़ती है तो उसका दर्द वही बयां कर सकता है जिसने वह दर्द झेला हो। शायद इलेक्ट्रो होम्योपैथों से बेहतर इसका अनुभव अन्य किसी के पास न होगा, हम अपनी सोच में थोड़ा कुछ वर्षों पीछे चलें, वर्ष 2004 तक सबकुछ ठीक–ठाक चल रहा था पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में किसी तरह की कोई परेशानी नहीं थी कार्य अबाध गति से हो रहा था उस समय भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कुछ अति महत्वाकांक्षी नेताओं ने केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने से सम्बन्धित इतने प्रतिवेदन दे डाले कि सरकार ने इन प्रतिवेदनों का और प्रतिवेदनों में की गयी मांग का भरपूर फ़ायदा उठाया जिस केन्द्र सरकार को 18 नवम्बर, 1998 को पारित आदेश जिसे माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने आदेशित किया था जिसमें केन्द्र सरकार सहित सभी राज्य सरकारों को इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून बनाना था सरकार पशोपेश में थी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए कानून कैसे बनाया जाये ?क्योंकि सरकार कानून बनाकर इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता नहीं देना चाहती थी, लेकिन सरकार यह भी नहीं चाहती थी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य बन्द हो। लेकिन कुछ उत्साही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्यकर्ताओं ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी की मान्यता के लिए जो आन्दोलन किये उनका भरपूर लाभ केन्द्र सरकार ने उठाया सरकार ने एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया इस कमेटी में जिस स्तर के व्यक्ति शामिल किये गये वह पहले दिन से ही तय हो गया था कि जिस मानसिक स्तर के लोग इस कमेटी में शामिल हैं उनसे इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कल्याण नहीं हो सकता है चूँकि कमेटी के पास मामला था इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मान्यता देने का और जो मान्यता के लिए मापदण्ड स्थापित किये गये थे या जिन मापदण्डों के आलोक में कमेटी को कार्य करना था उस कसौटी में उस समय इलेक्ट्रो होम्योपैथी का खरा उतरना सम्भव नहीं था कारण इलेक्ट्रो होम्योपैथी उस समय जिस ढंग से संचालित हो रही थी वह मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के लिए निर्धारित मापदण्डों की तुलना में बहुत कम थी। लेकिन सरकार सरकार होती है जो आप मांग करेंगे वह घुमा–फिरा कर ऐसा प्रदर्शित करेगी कि सरकार आपके हित के लिए ही कार्य कर रही है और यही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए हुआ कमेटी ने कार्य किया और विभिन्न बिन्दुओं पर गहराई से मूल्यांकन करने के बाद सरकार को जो रिपोर्ट सौंपी उसके परिणाम जो हुए वह सर्वविदित हैं। यह तो विडम्बना है कि भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के कार्य पर कभी रोक नहीं लगायी है लेकिन इस कमेटी की रिपोर्ट का जिस तरह का प्रस्तुतीकरण हुआ व उसने पूरी की पूरी इलेक्ट्रो होम्योपैथी के आधार भूत ढांचे पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया और इसका परिणाम यह हुआ कि पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी में एक अघोषित सी बन्दी हो गयी जबकि सत्य यह है कि 25 नवम्बर, 2003 हेतु रिपोर्ट में भारत सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के विरूद्ध कोई टिप्पणी ही नहीं की बल्कि सरकार को यह सिफ़ारिश की थी कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इलेक्ट्रो होम्योपैथी का संचालन कैसे हो सकता है ?लेकिन इसका असर यह हुआ कि सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी को संचालित करने के लिए एक निश्चित दायरा निश्चित कर दिया अभी यह चल ही रहा था कि उत्तर प्रदेश में 820/2002 राजेश कुमार श्रीवास्तव बनाम श्री ए0 पी0 वर्मा मुख्य सचिव उ0प्र0 ने इस वाद में आदेश दिया कि प्रदेश में चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रदाता संस्थायें अपना पंजीयन शासन में करायें तथा प्रैक्टिस करने वाला चिकित्सक अपने पंजीयन का आवेदन जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालय में प्रेषित करें।

इस आदेश के आते ही प्रदेश में एक नई स्थिति पैदा हो गयी प्रदेश में संचालित हो रहीं लगभग सारी इलेक्ट्रो होम्योपैथी की संस्थायें इस कार्य को करने में असफ़ल ही रहे प्रदेश की एक मात्र संस्था बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 ने इस आदेश का स्वागत किया अपने पंजीयन का आवेदन शासन को प्रेषित किया, शासन को सकारात्मक जवाब प्राप्त होने के बाद देश के इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति की अघोषित बन्दी को समाप्त करवाने के लिए जी जान से लग गये, इसका परिणाम यह हुआ कि 5 मई, 2010 को भारत सरकार ने इस पर एक शुद्धिपत्र जारी करते हुए स्पष्टीकरण दिया कि भारत सरकार ने 25 नवम्बर, 2003 को जारी पत्र में इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संचालन पर किसी तरह की रोक नहीं लगायी है इस आदेश के आते ही पूरे देश में आशा का नया संचार हुआ और लोगों को यह भरोसा हो गया कि अब इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा व दशा दोनों सुधर जायेगी, लेकिन इसे क्या कहा जाये ?सरकारी विभाग 5–5–2010 के आदेश को मात्र स्पष्टीकरण के रूप में स्वीकार कर रहे थे तब इलेक्ट्रो होम्यो पैथिक मेडिकल एसोसिएशन ऑफ़ इण्डिया ने न्यायालय और सरकार से सम्पर्क किया परिणाम स्वरूप 21 जून, 2011 को वह एतिहासिक आदेश पारित हुआ जो कि पूरे देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा,शिक्षा और अनुसंधान करने में अपनी सहमति प्रदान करता है। इस आदेश का उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम क्रियान्वयन हुआ और 4 जनवरी, 2012 को बोर्ड ऑफ़ इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन, उ0प्र0 के पक्ष में शासनादेश जारी कर प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी को स्थापित करने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाहन किया, इस आदेश का लाभ आम चिकित्सक को मिले इस हेतु प्रदेश के चिकित्सा महानिदेशक ने 2 सितम्बर, 2013 को सभी अपर निदेशकों व 14 मार्च, 2016 को सभी ..... मुख्य चिकित्साधिकारियों को पत्र लिखकर इस आदेश के क्रियान्वयन का स्पष्ट निर्देश दिया है आज स्थिति यह है कि प्रदेश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करने में किसी तरह की कोई रूकावट नहीं है सबकुछ ठीक–ठाक चल रहा है चिकित्सक भी खुश हैं। मुख्य चिकित्साधिकारियों को भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी से चिकित्सा व्यवसाय करने में किसी तरह की कोई आपत्ति नहीं है तभी अचानक फिर एक बार मान्यता का जिन्न कुछ उत्साहित नवयुवकों ने बाहर निकाल कर प्रदेश के इलेक्ट्रो होम्योपैथों के मन में एक अजीब सी सिरहन पैदा कर दी है यह उत्साहित नवयुवक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धरना देकर सरकार से मांग करेंगे कि बिना शर्त इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सकों का पंजीयन किया जाये। अब प्रश्न यह उठता है कि इस तरह की मांग कहाँ तक न्यायसंगत है ?जब प्रदेश सरकार ने शासनादेश जारी कर दिया है और लगातार सहयोग भी कर रही है ऐसे में इस तरह के आयोजन किसी नई व्यवस्था को जन्म दे सकते हैं।

अभी तक एक शासनादेश के सहारे इलेक्ट्रो होम्योपैथ प्रैक्टिस कर रहे हैं यदि सरकार ने अधिकारिता तय

शेष पेज 3 पर

सबको कुछ न कुछ चाहिये

जब तक जीवन है तब तक हर जीवन धारी को कुछ न कुछ ज़रत बनी ही रहती है, कुछ जरूरतें आवश्यक होती हैं कुछ जरूरतें सिर्फ़ इसलिए होती हैं कि उनकी ज़रूरत बना दी जाती है, जैसे आजकल हर एक को पानी चाहिये पानी की कमी है इसलिए ज़्यादा पानी चाहिये जहाँ पर भूख अपना क़हर ढा रही है वहां सिर्फ़ रोटियां ही प्राथमिकता है, नेता को भरी भीड़ में भाषण देने को मिलना चाहिये अगर बाद में अवसर मिला तो नाराज़ होना चाहिये, आप किसी को कितना भी खुश करना चाहें वह खुश हो ही नहीं सकता क्योंकि आप खुश करने वाले की महत्वाकांक्षा कभी पूरी ही नही कर सकते और यही महत्वाकांक्षायें व्यक्ति के विचारों में आमूलचूल परिवर्तन ला देती है अगर व्यक्ति परिपक्व नहीं है तो उसके निर्णय सिर्फ़ महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए होते हैं और यही महत्वाकांक्षाये जब सर पर चढ़कर बोलने लगती हैं तो उनके परिणाम कुछ समय के लिए तो व्यक्तिगत हित में हो सकते हैं लेकिन जनहित में कम।

इस प्रस्तावना के साथ यह स्पष्ट होता है कि आजकल अति महत्वकांक्षाओं के दर्शन इलेक्ट्रो होम्योपैथी में लगातार हो रहे हैं, तमाम प्रयासों के बाद कई वर्षों के अज्ञातवास के बाद आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी सही स्थिति में अब आयी है अर्थात ठीक तरह से काम करने के लिए जिस वातावरण की आवश्यकता होती है आज वह वातावरण इलेक्ट्रो होम्योपैथी में पूरे तौर परउपलब्ध है लेकिन इसे हम विडम्बना ही कहेंगे कि यह वातावरण अभी भी सबको रास नहीं आ रहा है सबको सबकुछ मिल रहा है परन्तु व्यक्तिगत पाने की लालसा व्यक्ति को पीड़ित किये है यह सब जानते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति है, इसपर किसी का एकाधिकार न है और न हो सकता है और हो भी कैसे सकता है ?जो चीज जनहित के लिए होती है उसपर सभी का अधिकार होता है लेकिन यह अधिकार वही प्रयोग कर सकता है जो उसका अधिकारी हो जैसे मताधिकार का अधिकार हर नागरिक को प्राप्त है परन्तु मत देने के लिए जो आवश्यक प्रपत्र साथ होने चाहिये उनकी पूर्ति तो मतदाता को करनी ही होती है, ठीक इसी तरह से जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कार्य करना चाहते हैं उन्हें कार्य करने का पूरा अधिकार है लेकिन इस अधिकार के लिए जो प्रचलित नियम और कानून हैं उनका पालन करना अति आवश्यक है इलेक्ट्रो होम्योपैथी के जितने भी पूर्व संस्था संचालक रहे हैं वह सभी के सभी चाहते हैं कि वह इलेक्ट्रो होम्योपैथी संस्थाओं का संचालन करें तो उनके इस कार्य को करने से किसी ने रोका नहीं है, परन्तु जो आवश्यक निर्देश शासन द्वारा दिये गये हैं उनका तो पालन करना ही पड़ेगा। लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी की स्थिति बिल्कुल इसके विपरीत है यहां पर अगर कोई संस्था नियमों और कानूनों को मानते हुए अधिकार प्राप्त करती है और कार्य करती है तो दूसरे कहते हैं कि हम नियमों को भी नहीं मानेंगे और कार्य भी करेंगे। यहीं से शुरू होती है अराजकता और यही अराजकता स्थिरता नहीं आने देती, ज्यों–ज्यों इलेक्ट्रो होम्योपैथी मज़बूत होती जा रही है त्यों त्यों ऐसे लोगों के हौसले भी धीरे–धीरे पस्त होते जा रहे हैं जिनको कुछ नहीं करना है वह मान्यता का ध्वज लेकर एक नई व्यवस्था को जन्म दे रहे हैं जबकि उनको पता है कि सरकारें मान्यता किस तरह से देती हैं यह सब क्यों हो रहा है ?

अगर इसपर हम नज़र डालें तो मूल में यही नज़र आता है कि हर एक को कुछ न कुछ चाहिये इसकी कुछ बानगियां हम यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं:– प्रदेश में हर इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकारपूर्वक चिकित्सा व्यवसाय करे, इस हेतु जब जनजागरण अभियान छेड़ा गया तो प्रारम्भ में ही इस अभियान को ध्वस्त करने के प्रयास किये गये,चूंकि हम सत्य के मार्ग पर थें और चिकित्सा करने का सत्य यही है कि जो चिकित्सक चिकित्सा व्यवसाय करेगा वह अपने व्यवसाय से सम्बधित जानकारियां आवेदन के रूप में जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय को अवश्य प्रस्तुत करेगा। धीरे–धीरे लोगों ने इस बात को समझा और इस बात को सत्य सिद्ध कर दिया कि सत्य परेशान तो हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं।

हमारा इस वाक्य पर अटल विश्वास है कि जो कार्य सही दिशा में किया जाता है उसे वहीं जाना चाहिये लेकिन विवेक को नहीं छोड़ना चाहिये जैसे एक कथानक है एक बार कुछ शिष्य अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गृह नगर को वापस जा रहे थे बहुत दिनों के बाद घर वापस जाने के कारण कुछ मार्ग भ्रम हो गया तो उनमें से एक शिष्य ने कहा कि महाजनों येन गतो सपंथा अर्थात जहां पर बहुत लोग जा रहे हों उसी रास्ते पर चलना चाहिये, इसी विषय का आचरण करते हुए कि आगे जाती हुई भीड़ के साथ हो लिए और यह विचार करने लगे कि यह लोग जहां जा रहे हैं वह निश्चित तौर पर सही रास्ता होगा परन्तु उनका अनुकरण करते–करते वह शमशान घाट पहुँच गये। यहाँ पर यह कथानक बताने का तात्पर्य यह है कि किसी भी काम को करने से पहले हमें विवेक का इस्तेमाल अवश्य करना चाहिये। बिना विवेक के किया हुआ कार्य कभी भी वांछित परिणाम नहीं देता है आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी में सबकुछ है लोग बुद्धिमान भी हैं ज्ञानी भी हैं, भविष्य दृष्टता भी हैं, परन्तु विवेक होते हुए विवेक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं परिणाम स्वरूप जो कुछ भी चाहते हैं वह नहीं मिल पा रहा है, मान्यता तो इलेक्ट्रो होम्योपैथी को मिलनी ही है इसमें किन्तु या परन्तु के लिए कोई स्थान नहीं है।

मान्यता कब मिलेगी ? कैसे मिलेगी ? यह तो हम जानते हैं लेकिन पाने में जो परेशानियां होंगी उनको स्वीकारने में कतराते क्यों हैं ?हमारा इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक बहुत सीधा है उसे जो आप समझा लें वह आसानी से स्वीकार कर लेता है इसकी दो बानगियां हम यहाँ आपको दे रहे हैं अभी 25 अप्रैल, 2016 को हमने अपनी संस्था का 42 वां स्थापना दिवस समारोह लखनऊ में धूम– धाम से आयोजित किया, हर अपने को बुलाया यह हमारा अपना परिवारिक कार्यक्रम था लेकिन हमारे इस व्यक्तिगत कार्यक्रम में भी बहुत सारे लोगों ने ढेर सारी सलाह दे डाली जिन्हें हमने स्वीकारा भी कुछ ने तो कुछ ऐसे लोगों को बुलाने के लिए आग्रह कर दिया जो कार्यक्रम में आने की पात्रता ही नहीं रखते थे हमारे साथियों के सीधेपन का नमूना है, माननीय मंत्री जी बोल रहे थे विनोदी स्वभाव में उन्होंने कह दिया कि अस्लहा मिल गया तो लाइसेन्स देने में क्या दिक्कत है ?

हमारे कुछ साथी इसी लाइसेन्स के चक्कर में कई दिनों तक परेशान रहे एक मुखर इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो कि हर एक से कुछ न कुछ बात करता रहता है उसने पूछा मंत्री जी ने कहा था कि मैं पूर्ण मान्यता के लिए मुख्यमंत्री जी से बात करूँगा तो मान्यता किस दिन मिल रही है ?यह है हमारे चिकित्सकों के सीधेपन के नमूने, इनके पास सिर्फ़ भाव हैं विचार नहीं और जो चतुर वर्ग के नेतागण हैं वे इनकी भावनाओं का दोहन करके अपनी नेतागीरी का असफ़ल प्रयास कर रहे हैं। अगर इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नेतृत्वकर्ताओं ने वास्तकिता को समझा होता और लड़ाई को सीधी दिशा में लड़ा होता तो शायद इनका नेतृत्व और चमकदार होकर निकलता। लेकिन सकारात्मक सोच सदैव अच्छे परिणाम की इच्छा करती है और यही कारण है कि तमाम उतार चढ़ाव के बाद न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश में भी इलेक्ट्रो होम्योपैथी विकास के रास्ते पर चल निकली है हमारे इस चाल से कुछ लोग परेशान भी हैं यह समाचार लिखे जाने के एक दिन पहले दिल्ली से डा0 देवेन्द्र सिंह ने टेलीफोन करके बताया कि दिल्ली के किसी होम्योपैथी अधिकारी ने उन्हें नोटिस दिया है कि आप अपने बोर्ड से होम्योपैथिक शब्द हटा लें अब सोचने की बात यह है कि होम्योपैथी अलग,इलेक्ट्रो होम्योपैथी अलग, दोनों के सिद्धान्त अलग, दोनों पद्धतियों के जन्मदाता अलग, दोनों पद्धतियों के औषधि निमार्ण पद्धतियां अलग। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें हर आदेश इलेक्ट्रो होम्योपैथी के नाम जारी कर रही हैं। सघन परीक्षण के बाद विधि विभाग ने शासन को राय दी थी कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी, होम्योपैथी की परिभाषा से आच्छादित नहीं है फिर इन होम्योपैथिक अधिकारी महोदय के पेट में दर्द क्यों हो गया ?

यह दर्द अकारण नहीं है इसके पीछे कारण हैं कि ठोस मानसिकता वाले इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं इस तरह के कितने ही प्रकरण हमारे सामने आते रहेंगे और हमें हर प्रकरण से निपटने के लिए मज़बूती से मुक़ाबला करना होगा। मुक़ाबला बराबर वाले से हो तो जवाब देने में आनन्द आता है, लेकिन जब गृहयुद्ध होने लगता है तो कष्ट होता है। परस्पर कटाक्ष कभी भी लाभकारी नहीं होता है जब दो भाई आपस में एक दूसरे का विरोध करते हैं तभी पड़ोसी को आनन्द लेने का अवसर मिलता है, इसलिए हमको ऐसे अवसरों से बचना होगा तथा विकास के लिए जो निरन्तरता बनाई गयी है उसमें किसी भी तरह की बाधा नहीं आनी चाहिये सारी बाधाओं को दूर करने में कष्ट नहीं होता है लेकिन जब कोई बाधा अपने द्वारा ही निर्मित की जाती है तो उस निमार्ण को ध्वस्त करने में आत्मिक कष्ट होता है। यह बात सत्य है कि हर व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं अपना अपना चिन्तन होता है जब उद्देश्य एक हो तो विचारों में समानता कभी भी पैदा हो सकती है, चूंकि हमारा मानना है कि आज इलेक्ट्रो होम्योपैथी जिस पायदान पर है यहाँ तक पहुँचने में हर एक का योगदान है कुछ का दिखायी पड़ रहा है और कुछ का योगदान धीरे–धीरे रंग ला रहा है। इसी खोने और पाने के चलते हमें पाने की उम्मीद करनी है और यह निश्चित जानिये कि जो कुछ भी मिलेगा उसमें सबकी भागीदारी होगी किसी एक की नहीं।

एक अन्जाना डर ..... दूसरे पेज से आगे

कर दी तो उन चिकित्सकों के सामने परेशानी खड़ी हो जायेगी जो किसी अन्य संस्था से प्रशिक्षित हैं। हमें यह कभी नहीं भूलना चाहिये सरकार उसी संस्था या संगठन को अधिकार देती है जो उसकी कसोटी पर खरी उतरती है। इसलिए किसी भी प्रकार का आयोजन करने से पहले हर बिन्दु पर विचार करना चाहिये कि इसके परिणाम क्या होंगे ? सोशल मीडिया लगातार इस धरने का विरोध कर रही है यह विरोध इसलिए और मुखर होता जा रहा है चूंकि कोई भी यह नहीं चाहता कि अच्छे खासे चलते हुए काम में किसी तरह का कोई अड़ंगा आ खड़ा हो इस भीषड़ गर्मी में अपनी राजनैतिक इच्छा की पूति के लिए इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कितने सार्थक हैं ? इसका निर्णय आयोजकों को अवश्य करना चाहिये व्यक्तिगत इच्छाओं के आगे हजारों लोगों के भविष्य को दांव पर लगाना फिलहाल तर्कसंगत नहीं लगता। प्रदेश लगातार इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दिशा में प्रगति कर रहा है धीरे–धीरे करके एक के बाद एक बधायें दूर होती जा रही हैं और प्राप्त अधिकारों में लगातार वृद्धि भी होती जा रही है अब यह चिकित्सकों पर निर्भर करता है कि वह इन प्राप्त अधिकारों का लाभ कैसे उठाता है ? कार्य से ही लाभ की सम्भावना होती है और सम्भावनाओं के लिए अवसर पैदा करने होते हैं।

इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इतिहास में पहली बार राष्ट्र को समर्पित

इलेक्ट्रो होम्योपैथी की वास्तविकता

पर आधारित

डॉक्युमेन्ट्री फ़िल्म

A SAGA OF ELECTRO HOMOEOPATHY

का लोकार्पण

रविवार, 04 सितम्बर 2016 को

दिल्ली आईये

और इन रोमांचक पलों के हमारे साथी बने

डा० इदरीस खान

निर्माता / वितरक

सी –617 निर्माण चौक, मदनपुर खादर एक्सटेन्शन नई दिल्ली–110076

प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रो होम्योपैथी के लिए ... प्रथम पेज से आगे

उचित अवसर है यदि उन्हें अधिकारपूर्वक व सम्मानपूर्वक प्रैक्टिस करनी है तो बिना किसी प्रतीक्षा के और बिना किसी भय के अपने पंजीयन का आवेदन अवश्य कर दें। क्योंकि धीरे धीरे इलेक्ट्रो होम्योपैथी पर शासकीय आदेशों का शिंकजा कसता जा रहा है इसलिए आपको वही करना चाहिये जो अन्य मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक कर रहे है। दूसरी बात यह है कि यदि हमको पहचान बनानी है और समाज को यह बताना है कि हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी के चिकित्सक है तो आपको अपने आपको प्रदर्शित करना होगा। मान्यता के बाद या कानून बनने के बाद भी आपको वही करना है जो करने की आवश्यकता है आज इसलिए सचेत हो जाना चाहिये पता नहीं कल क्या परिस्थित बने सरकार कौन सा नियम बना दें हो सकता है सरकार यह कह दे कि जो लोग पहले से पंजीकृत नहीं है उन्हें हम चिकित्सक की श्रेणी में नहीं रखेंगे उउस समय यह तो आप परेशान होंगे या फिर अपने आपको कोसेंगे कि हमने निर्णय लेने में विलम्ब क्यों कर दिये है।